FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम जटाशंकर पुत्र अर्जुनलाल वगै0

किस्म मुकदमा:- विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता मुकदमा नम्बर:- 42/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
26.08.2021	तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 1882/राजस्व/2021 दिनांक 18.08.2021 के द्वारा ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2225/6, 2223/1, 2222, 2221, 2304, 2310, 2314, 2313, 2312, 2305, 2307, 2308, 2315, 2316 में से जा रहे ढाणी साख्यावाली से नवोड़ा व जोशियावाली से होता हुआ भोजलाई जोहड़ा तक चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, सहमति पत्र खातेदारान्, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर एवं अभिशंषा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। जिससे प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर संलग्न मिसल रहे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2021.08.31 12:38:13 IST Reason: SelfAttested 26/08/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	2394/रीड 27-8-2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी :– दिलीप सिंह (आर.ए.एस.),
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 42/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

।। आदेश।।

निर्णय दिनांक : 26.08.2021

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, सहमति पत्र (संबंधित खातेदार), अनापत्ति प्रमाण पत्र, अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर एवं श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जिसके अनुसार ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर के खसरा नम्बर 2225/6, 2223/1, 2222, 2221, 2304, 2310, 2314, 2313, 2312, 2305, 2307, 2308, 2315, 2316 में से जा रहे ढ़ाणी साध्यावाली से नवोड़ा व जोशियावाली से होता हुआ भोजलाई जोहड़ा तक रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। संबंधित पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी समय से चालू होकर सार्वजनिक हित में बताया गया है। साथ ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है।

इस प्रकार यह विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के तहत स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर के खसरा नम्बर 2225/6 रकबा 0.31 हैक्टर में से 0.002 हैक्टर, 2223/1 रकबा 1.78 हैक्टर में से 0.2070 हैक्टर, 2222 रकबा 0.04 हैक्टर में से 0.0350 हैक्टर, 2221 रकबा 3.17 हैक्टर में से 0.0800 हैक्टर, 2304 रकबा 0.61 हैक्टर में से 0.0300 हैक्टर, 2310 रकबा 2.13 हैक्टर में से 0.0110 हैक्टर, 2314 रकबा 0.74 हैक्टर में से 0.0380 हैक्टर, 2313 रकबा 0.21 हैक्टर में से 0.0200 हैक्टर, 2312 रकबा 0.90 हैक्टर में से 0.0220 हैक्टर, 2305 रकबा 1.81 हैक्टर में से 0.1410 हैक्टर, 2307 रकबा 0.05 हैक्टर में से 0.0220 हैक्टर, 2308 रकबा 0.05 हैक्टर में से 0.0450 हैक्टर, 2315 रकबा 1.32 हैक्टर में से 0.0380 हैक्टर, 2316 रकबा 0.38 हैक्टर में से 0.0110 हैक्टर (लगभग रास्ते की चौड़ाई 30 फुट) भूमि मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शों में परिशिष्ठ – 'ए' में वर्णितानुसार करावें एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमियों में से प्रस्तावित रास्ते को ... रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने ... जा... के आदेश दिये जाते है। गैर मुमकीन एंव गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमियों ... कम ... तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव एंव रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खाते में ... रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें। ~~नक्शा ट्रेस~~ उक्त आदेश का भाग रहेगें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ...

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.08.31 12:38:13 IST
Reason: SelfAttested

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर))

26/08/21
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)